संख्या क0नि0-5-1007/11-2000

प्रेषक,

टी0जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिला निबन्धक
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त उपनिबंधक
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 17 फरवरी, 2001

विषय- रजिस्ट्री कार्यालयों में स्टाफ के अतिरिक्त वाह्य व्यक्तियों से काम लिया जाना।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह बात आयी है कि प्रदेश के कई उप निबन्धक कार्यालयों में उप निबन्धकों द्वारा स्टाफ के अतिरिक्त बाहरी व्यक्तियों को बैठाकर कामकाज में उनकी सेवायें ली जाती है। कहीं कहीं पर उप निबंधक ऐसे व्यक्तियों को अपनी जेब से मानदेय भी देते है, यह सूचना मिली है। प्रायः ऐसे व्यक्ति दलाली का कार्य करते है और उपनिबन्धकों द्वारा ऐसे व्यकित्यों का इस्तेमाल उत्कोच की राशि वसूलने के लिए किया जाता है। यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है और शासन द्वारा इसे अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक लिया जा रहा है। शासन द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी भी रजिस्ट्री कार्यालय में इस प्रकार के व्यक्ति किसी भी निरीक्षण के समय उपस्थित पाए जाएंगे तो संबंधित कार्यालय प्रभारी के अतिरिक्त इस बात की सीधी जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला निबन्धक की भी मानी जायेगी क्योकि इस प्रकार की प्रथा पर रोक लगाना उन्हीं का काम है। समस्त जिला निबन्धक अपने-अपने जनपद में इस सम्बन्ध में आकस्मिक निरीक्षण करके तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

3- कृपया इस आदेश की प्राप्ति स्वीकार करते हुये तत्काल निर्दिष्ट कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

ह०/–

टी0जार्ज जोसेफ

प्रमुख सचिव

संख्या क0नि0-5-1007(1)/11-2000तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3.समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4.समस्त उप/ सहायक महानिरीक्षक निबंधन,उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

ह०/–

टी0जार्ज जोसेफ

प्रमुख सचिव